

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : ४/2024

दायर दिनांक : 30/12/2024

निर्णय दिनांक : 15/01/2025

उनवान

1. नारायण पुत्र कालू जाट निवासी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. रतनलाल पुत्र कालू जाट निवासी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. केशर पुत्री कालू जाट निवासी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. चांदी पुत्री कालू जाट निवासी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. दाखी पत्नी कालू जाट निवासी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पिता कन्ना खटीक निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. प्रकाश पिता सुरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. नारायण पिता मेघा जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. गुलाबचंद पिता मेघा जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. वजेराम पिता जीतू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6. हीरालाल पिता गोकल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7. अमरचंद पिता गंगाराम जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेंड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम निलोद प० ह० निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के खाता सं० 241 के हाल आराजी न० 1137 रकबा 0.66 है० आराजी न० 138 रकबा 1.33 है० आराजी न० 2815/134 रकबा 1.85 है० आराजी न० 2833/139 रकबा 0.44 है०** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

